I/28669/2023

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना
Rural Enterprise Acceleration Project (REAP)
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
216, पड़ितवाड़ी, फेज II, देहरादून, उत्तराखण्ड, दूरभाष–0135–2773800।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
USRLM देहरादून ।

विषयः–USRLM द्वारा गठित CLF में REAP अन्तर्गत Value Chain आधारित उद्यम स्थापना के लिए CLF में Nominal सदस्य जोड़कर उनको CLF-LC में Transform करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि IFAD सहायतित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) में लक्षित वर्ग को उत्पादक समूहों में गठित कर उनको आजीविका संघो (LCs) मे federate किया गया था, इन समूहों में औसतन 84% महिलाएं तथा 16% प्रगतिशील पुरूष किसान सदस्य थे। उक्त समूहों में प्रगतिशील पुरूष किसानों की भागीदारी से ILSP में Livelihood and market के कार्य का एक मॉडल स्थापित हुआ। ILSP के उक्त Successful मॉडल को USRLM तथा ILSP अन्तर्गत गठित समूहों के माध्यम से पूरे उत्तराखण्ड में Replicate करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा IFAD के वित्तीय सहयोग से REAP परियोजना को सभी 95 विकासखण्डों में संचालित किया जा रहा है।

URSLM के अन्तर्गत समूहों में शत्प्रतिशत महिला किसान सदस्य है, इस क्रम में ILSP के मॉडल को Replicate करने हेतु REAP के ISM Note में CLF के वर्तमान सदस्यों के साथ युवाओं, प्रगतिशील किसानों व पुरूषों को Nominal सदस्य के रूप में जोड़कर उक्त CLF को CLF-LC के रूप में Transform करने का उल्लेख किया गया है ताकि महिला समूहों व CLF के उत्पादों के विपणन व Value Chain आधारति उद्यमों को उक्त Nominal सदस्यों के सहयोग से गति प्रदान की जा सकें। Nominal सदस्यों को CLF की Governance व्यवस्था अन्तर्गत कोई Voting Right नही होगा तथा इन सदस्यों की जानकारी आदि को मात्र REAP के MIS में Capture किया जायेगा इनकी जानकारी को USRLM के MIS में entry करने की आवश्यकता नही होगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2023 को USRLM के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में महिला स्वयं सहायता सम्बन्धी बैठक में मुख्य सचिव महोदय से चर्चा की गई थी । मुख्य सचिव महोदय द्वारा उपरोक्त पैरा में वर्णित अनुसार Nominal सदस्य जोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की गई है।

वर्तमान में REAP परियोजना का USRLM के समन्वयन से संचालन में ज्ञात हुआ है कि USRLM द्वारा गठित CLF का Self reliant Cooperative Act 2003 में पंजीकृत कराते समय CLF की नियमावली में उपरोक्त Nominal सदस्य को जोड़ने की व्यवस्था को नही रखा गया है, इसलिए Nominal सदस्यों को जोड़कर CLF को CLF-LC में Transform करने के लिए प्रत्येक CLF को अपनी नियमावली को तद्नुसार संशोधित कर उक्त में Nominal सदस्य जोड़ने का प्राविधान नियमावली में करते हुए उक्त की प्रति सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करानी होगी।

अतः अनुरोध है कि REAP अन्तर्गत Value Chain आधारित उद्यम स्थापना के लिए CLF में उपरोक्तानुसार Nominal सदस्यों को जोड़ने का प्राविधान हेतु उनकी नियमावली में संशोधन व संलग्नक दिशा–निर्देशो का क्रियान्वयन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– CLFs से CLF-LCs में परिवर्तित करने हेतु दिशा–निर्देश ।

भवदीय
Signed by Nitika Khandelwal
Date: 18-07-2023 18:53:20
(नितिका खण्डेलवाल) IAS
परियोजना निदेशक,UGVS-REAP

I/28669/2023

प्रतिलिपिः –निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य परियोजना निदेशक, UGVS-REAP देहरादून को सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य विकास आधिकारी –अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा देहरादून।
3. निदेशक वित्त, UGVS-REAP देहरादून।
4. सहायक रजिस्ट्रार कोआपरेटिव–अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा देहरादून।
5. उप निदेशक–मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण, UGVS-REAP देहरादून ।
6. प्रबंधक, संस्थाएं एवं समावेश, REAP देहरादून।
7. जिला मिशन प्रबन्धक, USRLM अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. जिला परियोजना प्रबन्धक,REAP अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार तथा देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नितिका खण्डेलवाल) IAS
परियोजना निदेशक,UGVS-REAP